



शैल

ई-पेपर

निष्पक्ष
एवं
निर्भीक
साप्ताहिक
समाचार



www.facebook.com/shailshamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाइन साप्ताहिक

वर्ष 42 अंक-22 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पंजीकरण एच. पी./93/एस.एस.एल. Valid upto 31-12-17 सोमवार 29-5 जून 2017 मूल्य पांच रूपए

तिलक राज प्रकरण में

सीबीआई की नीयत और नीति फिर चर्चा में

क्या यह मामला भी ईडी तक पहुंचेगा

शिमला/शैल। केन्द्र की जांच एजेंसी सीबीआई ने 30 मई को उद्योग विभाग के बददी स्थित संयुक्त निदेशक तिलक राज शर्मा और एक उद्योगपति अशोक राणा को बददी के ही एक फार्मा उद्योग के सीए चन्द्रशेखर की शिकायत पर चण्डीगढ़ में पांच लाख की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। यह एक संयोग है कि 29 तारीख को वीरभद्र सिंह एवं अन्य को उनके खिलाफ सीबीआई द्वारा दिल्ली की अदालत में डाले गये आय से अधिक संपत्ति के मामले में जमानत मिली है। इसी दिन चण्डीगढ़ में सीबीआई तिलक राज के संबंध में आयी शिकायत की वैरीफिकेशन में तिलक राज, अशोक राणा और शिकायतकर्ता की रिश्वत के संबंध में हुई बातचीत की विडियो रिकार्डिंग करती है। जिसमें यह भी आता है कि रिश्वत में लिया जाने वाला पैसा दिल्ली में मुख्यमन्त्री वीरभद्र सिंह के ओएसडी रघुवंशी को दिया जाना है। रघुवंशी का नाम आने से ही इस पूरे प्रकरण का परिदृश्य ही बदल गया है।

सामान्यतः केन्द्र की सीबीआई को राज्य से जुड़े मामलों में तब तक सीधे जांच का अधिकार नहीं है जब तक की राज्य सरकार ऐसी जांच का स्वयं आग्रह न करे या फिर कोई अदालत ऐसी जांच के आदेश न दे। तिलक राज के मामले में यह दोनों ही स्थितियां नहीं हैं। सिर्फ इतना है कि तिलक राज का आवास चण्डीगढ़ में है। शिकायतकर्ता चन्द्रशेखर पंचकुला का रहने वाला है। रिश्वत की अदायगी चण्डीगढ़ में होती है, रिश्वत मांगे जाने और कब कैसे दी जानी है इस संबंध में हुई सारी बात चण्डीगढ़ के ही एक सैलून में होती है। वहीं इसकी रिकार्डिंग हो जाती है। बातचीत के अनुसार चण्डीगढ़ में ही अदायगी होती है और सारे लोग रंगे हाथों पकड़े जाते हैं सबकुछ चण्डीगढ़ में ही घटता है। ऐसे में ऐसे ट्रैप की जानकारी हिमाचल पुलिस को पूर्व में दिये जाने का समय ही नहीं था और चण्डीगढ़ केन्द्र शासित होने के कारण ऐसे मामलों में सीधे सीबीआई का क्षेत्राधिकार बन जाता है। ऐसे में यदि यह प्रकरण सिर्फ तिलक राज के रिश्वत लिये जाने तक ही सीमित रहता है तो इसे अंजाम तक पहुंचाने में सीबीआई को कोई दिक्कत नहीं आयेगी। यदि रिश्वत से आगे निकल कर यह मामला आय से अधिक संपत्ति तक का बन जाता है और इसमें अन्य लोगों की संलिप्तता भी सामने आती है तब इसी मामले की ईडी तक भी पहुंचने की

संभावना बन जायेगी यह तय है।

इस मामले में आयी शिकायत और उस पर सीबीआई द्वारा की गयी वैरीफिकेशन पर नजर डालने से यह सामने आता है कि शिकायतकर्ता ने फार्मा उद्योग के प्रतिनिधि के रूप में इस संयुक्त निदेशक के कार्यालय में 28 मार्च को 50 लाख की सस्बिडि लेने के लिये दस्तावेज सौंपे थे। इसके बाद वह कई बार इस कार्यालय में आता है और तिलक राज उसे अशोक राणा को मिलने के लिये कहता है जो उसे रिश्वत के बारे में जानकारी देगा। फिर 22 मई को सस्बिडि के संबंध में विभाग द्वारा 19 मई को भेजा नोटिस उसे मिलता है। शिकायतकर्ता चन्द्र शेखर 19 मई को फोन पर तिलक राज से बात करता है और इसकी रिकार्डिंग कर लेता है लेकिन 22 मई को हुई बातचीत को वह रिकार्ड नहीं कर पाता है। 19 मई को रिकार्ड की गयी बातचीत में यह दर्ज नहीं है कि रिश्वत का पैसा रघुवंशी को जाना है। 27 मई को रिश्वत मांगे जाने की शिकायत सीए चन्द्रशेखर सीबीआई से करते हैं, और प्रमाण के लिये 19 मई की

रिकार्डिंग सौंपते हैं। इसके बाद सीबीआई स्वयं रिकार्डिंग की व्यवस्था करती है। यह रिकार्डिंग 28 और 29 मई को होती है इस रिकार्डिंग में एक बार यह जिक्र आता है कि यह पैसा रघुवंशी को जाना है। इस रिकार्डिंग के बाद 29 मई को सीबीआई ने विधिवत् मामला दर्ज कर लिया और 30 मई को रिश्वत कांड घट जाता है तथा रंगे हाथों गिरफ्तारी हो जाती है। इस प्रकरण में तिलक राज शर्मा और अशोक राणा के अतिरिक्त कोई और गिरफ्तारी नहीं हुई है। इन लोगों को चार दिन के रिमांड के बाद अब न्याययिक हिरासत में भेज दिया गया है।

अब यह सवाल उभरता है कि क्या सीबीआई ने इस रिश्वत कांड पर सिर्फ इसी आधार पर हाथ डाल दिया कि उसके पास शिकायत आई और उसने वैरीफाई करके इस पर अगली कार्रवाई कर दी। यदि सिर्फ इतना भर ही है तो यह प्रकरण अपने में पूर्ण हो गया है और इसका चालान अदालत में पहुंच जाना चाहिये। यदि इस प्रकरण की जांच में यह जुड़ता है कि इस तरह की रिश्वतखोरी कब से चल रही है और इसमें किस तरह के

लोग शामिल रहे हैं, किस तरह के कितने कामों में यह रिश्वतखोरी हुई है, रिश्वत से हुई आय को किसने कहाँ और कैसे निवेशित किया है, ऐसे निवेश से कितने को पास आय से अधिक संपत्ति मौजूद है, इस प्रकरण में रिमांड के दौरान इन लोगों ने क्या-क्या खुलासे किये हैं और उन पर कितना भरोसा किया जा सकता है तो इसके लिये यह जांच लम्बा समय लेगी। तब इसमें निश्चित रूप से कुछ और लोगों की गिरफ्तारी अवश्य होगी। यदि जांच में निश्चित रूप से यह स्थापित हो जाता है कि वास्तव में ही यह पैसा रघुवंशी तक जाना था तो उस सूत्र में देर सवेर इसके छोटें मुख्यमंत्री के परिवार तक पहुंच जायेंगी किसी के भी खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला स्थापित होते ही ईडी इसका सजांन लेकर अपने स्तर पर कार्रवाई शुरू कर सकती है क्योंकि ऐसे मामलों में ईडी को सूचना देना अनिवार्य हो जाता है।

यह संभावना इसलिये उभर रही है क्योंकि इसमें मुख्यमन्त्री के दिल्ली स्थित ओएसडी रघुवंशी का नाम अशोक राणा, तिलक राज और चन्द्र शेखर की रिकार्डिंग में एक बार

आ जाता है। फिर 23 मार्च 2016 के अटैचमेंट के बाद मुख्यमन्त्री परिवार के कुछ खाते सील हो चुके हैं ऐसे में फिर लाखों का खर्च किन साधनों से हो रहा है। इसके लिये इनसे परोक्ष/अपरोक्ष में जुड़े लोगों पर नजर रखी जा रही थी, बल्कि ईडी ने बहुत एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर ली थी। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक तिलक राज प्रकरण भी इसी रिपोर्ट का प्रमाण है। चण्डीगढ़ में एक मित्तल से भी ईडी ने कुछ जानकारीयां हासिल कर रखी हैं। मित्तल के एक समय मुख्यमन्त्री के साथ जुड़े एक अधिकारी से गहरे रिश्ते रहे हैं। अब सीबीआई रघुवंशी और सुरेश पठानिया की कॉल हिटेलज का रिकार्ड खंगाल रही है। इस रिकार्ड की पड़ताल होने के बाद मामले के आगे बढ़ने की संभावना है। फिर ईडी से गिरफ्तारी की संभावना को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर याचिका 856/16 अभी तक लंबित चल रही है। इस संबंध में यदि इन सारी कड़ियों को एक साथ मिलाकर देखा जाये तो अभी संकट टला नहीं है और इसमें कई लोग लपेटे में आ सकते हैं क्योंकि ईडी ने दूसरे अटैचमेंट आदेश के साथ जो एनेक्सचर लगाये हैं वह बहुत गंभीर हैं उनके चर्चा में आते ही कई नये प्रकरण इसके साथ जुड़ जायेंगे यह तय है।

वीरभद्र का विरोध ही बना सुक्खु की ताकत

18 विधायकों ने किया सुक्खु का समर्थन

विधायकों ने हस्ताक्षर कर दिये।

लेकिन जब यह हस्ताक्षरित



प्रस्ताव कांग्रेस हाईकमान के पास प्रभारी के माध्यम से पहुंचाया गया तब इसका मसौदा बदलकर यह प्रस्ताव सुक्खु को बदलने का मांगपत्र बन गया। इस तरह प्रस्ताव का मसौदा बदलने से फिर

विधायकों में रोष फैल गया। यह रोष इतना बढ़ा कि तुरन्त सुक्खु के समर्थन का प्रस्ताव तैयार कर दिया और इस प्रस्ताव पर 18 विधायकों ने अपने हस्ताक्षर कर दिये। सूत्रों की माने तो इस प्रस्ताव में स्पष्ट कहा गया कि पहले प्रस्ताव की उन्हे सही जानकारी नहीं दी गयी थी। यदि सही जानकारी होती तो वह ऐसे प्रस्ताव पर कतई हस्ताक्षर न करते। सुक्खु के समर्थन में 18 विधायकों के आ जाने से एक बार फिर वीरभद्र सिंह की रणनीति की करारी हार हुई है।

इस परिदृश्य में यह सवाल उभरना स्वाभाविक है कि वीरभद्र और उनके कुछ विश्वस्त लोग बार-बार सुक्खु को हटवाने क्यों प्रयास कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि वीरभद्र के इस कार्यकाल में विभिन्न निगमों/बोर्डों में

जितनी राजनीतिक ताजपोशीयां हुई हैं उनके कारण करीब चालीस विधानसभा हल्कों में समानान्तर सत्ता केन्द्र बन गये हैं। इनमें ताजपोशीयां पाये सभी लोग आने वाला विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। यह भी सार्वजनिक हो चुका है कि ताजपोशीयां पाने वाले अधिकांश लोग विद्रोही विधायक के समर्थन से इस मुकाम तक पहुंचे हैं। यह भी जगजाहिर है कि इन्हीं लोगों ने वीरभद्र बिरोध का गठन किया था जिसे भंग करके अब एक एनजीओ की शक्ति दी गयी है। यह एनजीओ भी एक प्रकार से समानान्तर राजनीतिक मंच है। इसके लोग भी विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं लेकिन इसी एनजीओ के अध्यक्ष ने कुल्लु में सुक्खु के खिलाफ मानहानि का मामला दायर कर रखा है। जिसका सीधा अर्थ है कि सुक्खु तो बतौर कांग्रेस अध्यक्ष टिकट

शेष पृष्ठ 8 पर.....

राज्यपाल का लड़कियों को पर्याप्त अवसर प्रदान करने पर बल

शिमला/शैल। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि लड़कियाँ देश की शान हैं, जिन्होंने स्वयं सफलता का मार्ग हासिल किया है। उन्हें सम्मानित जीवन जीने के अधिकार के अलावा पूरा सम्मान दिया जाना चाहिए।

राज्यपाल पोर्टमोर स्कूल शिमला में संस्कार समारोह के अवसर पर उन्होंने कहा कि हमारी समृद्ध संस्कृति की गौरवशाली परम्पराएँ हैं, जहाँ महिलाओं का सम्मान और उच्च स्थान दिया गया है। उन्होंने कहा कि महिलाओं ने प्रत्येक क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और देश का गौरव बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि एक स्वस्थ व मजबूत समाज के निर्माण में महिलाओं की शिक्षा अत्यन्त महत्वपूर्ण है। महिलाओं को उपयुक्त सम्मान तथा विकास के समान अवसर प्रदान किए जाने चाहिए तथा लिंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए।

आचार्य देवव्रत ने गुणत्मक बुनियादी सुविधाएँ प्रदान करने के लिए स्कूल प्रबंधन को बधाई दी और आशा व्यक्त की कि छात्र जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करेंगे और पूर्ण समर्पण से राष्ट्र की सेवा करेंगे।

उन्होंने विद्यार्थियों से देश की समृद्ध परम्पराओं और संस्कृति को बनाए रखने का आग्रह किया।

उन्होंने कहा कि गुणी विद्यार्थी और प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान राष्ट्र के विकास के स्तम्भ हैं तथा नैतिक मूल्यों पर आधारित शिक्षा समाज के सर्वांगीण विकास में योगदान करती है। उन्होंने विद्यार्थियों को मूल्यों एवं व्यवस्था के विरुद्ध गतिविधियों में शामिल न होकर विकास तथा समाज के उन्नयन के लिए खुद को समर्पित करने का आह्वान किया। उन्होंने विद्यार्थियों का ज्ञानवर्धन करने तथा नैतिक मूल्यों का संचार करने के लिए अध्यापक समुदाय को समर्पण भाव से कार्य करने को कहा।

आचार्य देवव्रत ने नशाखोरी की समस्या पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि देश को मजबूत युवा पीढ़ी की आवश्यकता है, जो सक्रिय, जानशील और संवेदनशील हो।

राज्यपाल ने पाठशाला की मुख्य छात्रा कुमारी मालविका को स्कूली झण्डा भी भेंट किया।

उन्होंने समारोह के दौरान विभिन्न सदनों की चुनी हुई लड़कियों को बैच भी लगाए और परेड़ की सलामी ली।

राज्यपाल ने स्कूल परिसर में जापानी फल का एक पौधा भी लगाया।

राज्यपाल ने स्कूल में सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए 50 हजार रुपये की राशि की घोषणा की। पोर्टमोर स्कूल की प्रधानाचार्य निशा भलुणी ने इस अवसर पर राज्यपाल का स्वागत किया तथा स्कूल की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी दी। उन्होंने छात्राओं को प्रदान की जा रही विभिन्न सुविधाओं तथा उपलब्धियों पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि संस्थान में 1400 से अधिक छात्राओं को गुणात्मक शिक्षा प्रदान की जा रही है तथा लड़कियों के लिए आवासीय सुविधा भी उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि जनजातीय छात्राओं के लिए विशेष आवास सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। उन्होंने कहा कि उमंग फाउंडेशन के सहयोग से 25 दिव्यांग विद्यार्थियों को शिक्षा सुविधा प्रदान की जा रही है।

उन्होंने राज्यपाल को समृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया।

पाठशाला प्रबंधन समिति की अध्यक्ष सीमा चौहान, अध्यापक तथा स्टाफ सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

पत्रकारिता का आधार है विश्वसनीयता: राज्यपाल

शिमला/शैल। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि पत्रकारिता तपस्या, विवेक और सूझबूझ का कार्य है, जो समाज को नई दिशा प्रदान करता है।

राज्यपाल हरियाणा पत्रकार कल्याण मंच द्वारा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के पत्रकारिता एवं जन संचार विभाग के तत्वावधान में 'पत्रकार, समाज और सरकार' विषय पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में बोल रहे थे।

उन्होंने कहा कि विश्वसनीयता ही पत्रकारिता का आधारभूत स्तम्भ है। ऐसी कोई भी घटना, जिसका समाज पर गलत असर हो रहा है, उसे रोकेना पत्रकारिता का उद्देश्य होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता की पूर्ण सफलता के लिए यह जरूरी है कि गलत व्यक्ति को भय हो और अच्छे को सहारा मिले।

राज्यपाल ने सकारात्मक पत्रकारिता पर बल देते हुए कहा कि समाचार विकास की गति को बढ़ाने में सहायक हैं। धर्म को परिभाषित करते हुए उन्होंने कहा कि जिसके धारण करने से स्वयं भी सुखी हों और दूसरे को भी सुख पहुंचे, वही धर्म है। उन्होंने कहा कि मानवतावादी सोच, दूसरों के दुख को महसूस करना व पीड़ित मानवता की सेवा में समर्पित रहने से ही समाज का भला होगा और ऐसी सोच को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि पत्रकार समाज के प्रेरणास्त्रोत हैं, जो एक जिम्मेदारी का कार्य करते हैं। उन्होंने कहा कि यदि उनका चिंतन आध्यात्मवादी हो तो समाज का अधिक भला हो सकता है। साथ ही, सत्य को स्थापित करना व पाखण्ड का विरोध होना चाहिए, जिसमें पत्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

राज्यपाल ने इस अवसर पर पत्रकारों को सम्मानित भी किया।

हरियाणा के स्वाघ एवं आपूर्ति

मंत्री करणदेव कम्बोज ने इस अवसर पर कहा कि सकारात्मक पत्रकारिता से मीडिया के प्रति लोगों का अधिक विश्वास बढ़ता है। उन्होंने कहा कि पत्रकार समाज का आईना है और सच्चाई पर आधारित समाचार ही समाज का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। उन्होंने

कहा कि हरियाणा सरकार ने पत्रकारों को सुविधाएँ प्रदान करने के लिए पहल की है ताकि वे सुचारू रूप से अपना कार्य कर सकें।

जनसत्ता के मुख्य सम्पादक मुकेश भारद्वाज ने इस अवसर पर कहा कि विश्वसनीयता ही

हर क्षेत्र में बाजारवाद की छाप पड़ रही है वहीं मीडिया भी इससे अछूता नहीं है। उन्होंने कहा कि देश में 300 से अधिक सहकारिता पत्रकारिता से जुड़े समाचारपत्रों में मात्र एक समाचारपत्र 'जनमोर्चा' ही बचा है। उन्होंने कहा कि अब मिशन वाली बात नहीं रही, लेकिन चुनौतियाँ हमेशा से थीं और उन्हें चुनौतियों का सामना कर आगे बढ़ा जा सकता है। उन्होंने निष्पक्षता और निर्भीकता को पत्रकारिता का आधार बताया और पक्षपातपूर्ण समाचार से बचकर आम आदमी की समस्याओं से जुड़े समाचार पर बल दिया।

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कार्यकारी कुलपति प्रो. राजेन्द्र चौहान ने मीडिया कर्मियों से समाज को जागरूक करने का आग्रह किया। उन्होंने मीडिया में जेनरफैक्ट्री ओपीनियन, मीडिया ट्रायल पर चिंता जताई।

राज्यपाल के सलाहकार डॉ. शशीकान्त ने पत्रकारिता में विश्वसनीयता, तथ्यों पर आधारित समाचार के प्रेषण पर बल दिया। इससे पूर्व, हरियाणा पत्रकार कल्याण मंच के अध्यक्ष पवन आश्री ने राज्यपाल का स्वागत किया और मंच की गतिविधियों से अवगत करवाया। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में पत्रकारिता विभाग के अध्यक्ष डॉ. विकास डोगरा ने भी राज्यपाल का स्वागत किया।

मुख्यमंत्री ने किया 3.79 करोड़ रुपये से निर्मित भट्ठाकुफर स्कूल भवन का उद्घाटन

शिमला/शैल। शिमला जिला की कुसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र की चमियाणा पंचायत में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने 3.79 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भट्ठाकुफर के भवन का उद्घाटन किया। पांच मंजिला भवन में चार प्रयोगशालाओं के अतिरिक्त परीक्षा भवन का भी प्रावधान किया गया है।

इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रतिस्पर्धा के इस युग में आवश्यक है कि विद्यार्थियों को इस प्रकार की शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए ताकि उन्हें शिक्षा के उपरांत तुरंत रोजगार मिल सके और वे राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन कर पाएं। उन्होंने बताया कि वर्तमान सरकार ने न केवल पूरे प्रदेश में काफी संख्या में स्कूल और कॉलेज खोले हैं, बल्कि प्रत्येक शिक्षण संस्थान में आवश्यक संख्या में अध्यापक भी सुनिश्चित किए हैं।

वीरभद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार ने स्कूलों के भवन निर्माण को प्राथमिकता प्रदान की है और प्रत्येक जिले में नए स्कूल भवनों के निर्माण का कार्य जारी है।

उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में सेवा के लिए नए अध्यापकों को स्वयं आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो नवनियुक्त अध्यापक अपनी प्रथम नियुक्ति में दिए गए स्थल पर उपस्थिति नहीं देंगे, उनकी जगह नये अध्यापक को नियुक्त कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छे अध्यापकों

की ज्यादा आवश्यकता है, इसलिए नवनियुक्त अध्यापकों को अपने नियुक्ति स्थल पर तुरंत उपस्थिति



देनी चाहिए क्योंकि शिक्षा से बढ़कर कोई और पेशा नहीं है।

उन्होंने कहा कि नियुक्ति और स्थानांतरण के मामले में सरकार का निर्दयी रवैया नहीं है और कर्मचारियों को भी लोगों की भावना और समाज की अपेक्षाओं को समझना होगा। कर्मचारियों को स्थानांतरण की अपेक्षा सेवा पर ध्यान देना चाहिए और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सेवा देने के लिए स्वयं पहल करनी चाहिए।

मुख्यमंत्री ने चमियाणा पंचायत में आयुर्वेदिक औषधालय की घोषणा की। उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए स्कूल के विद्यार्थियों को 25 हजार रुपये देने के अलावा लोक निर्माण विभाग को स्कूल की चारदीवारी के निर्माण के निर्देश दिए। स्थानीय विधायक अनिरुद्ध सिंह ने स्थानीय समस्याओं से मुख्यमंत्री को अवगत करवाया और अपने क्षेत्र की विकास योजनाओं बारे जानकारी दी। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की तीन

सड़कों की 1100 करोड़ रुपये की डीपीआर तैयार कर स्वीकृति के लिए भेजी गई है और शीघ्र ही



नाबाड़े से यह धनराशि जारी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि चुरुट नाला सड़क के निर्माण के लिए भी टेंडर हो चुके हैं।

इससे पूर्व स्कूल की प्रधानाचार्य विद्या सोलंकी तथा ग्राम पंचायत प्रधान चमियाणा रत्न ठाकुर ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया।

शैल समाचार संपादक मण्डल

संपादक - बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक - जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार - ऋचा
अन्य सहयोगी
भारती शर्मा
रजनीश शर्मा
राजेश ठाकुर
सुदर्शन अवस्थी
सुरेन्द्र ठाकुर
रीना

हि.प्र. प्रेस गैलरी समिति ने किया दार्जिलिंग के चाय बागानों का दौरा

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश विधानसभा प्रेस गैलरी समिति के 12 सदस्यीय दल ने दार्जिलिंग के प्रसिद्ध चाय बागानों व 'द फुब्सरिंग टी इस्टेट' का दौरा किया तथा चाय बागानों के प्रबन्धन बारे में विस्तृत जानकारी हासिल की। दल ने लेबों स्थित चाय विधान केंद्र का दौरा भी किया। हैप्पी वैली टी इस्टेट के माली इरशाद अली ने प्रसिद्ध दार्जिलिंग जैविक चाय तथा चाय बागानों के इतिहास की जानकारी के अलावा पौधे लगाने के दौरान बरती जानी वाली सावधानियों बारे विस्तृत जानकारी दी।

समिति ने चाय खेती के अन्तर्गत पौधे लगाने के क्षेत्र को सुधार तथा आरम्भिक अवस्था में पौधों को किसी भी प्रकार की बीमारी से बचाने के

लिए पौधों पर हल्के कीटनाशकों के प्रयोग के बारे भी विचार - विमर्श किया।

सदस्यों ने वर्ष 1881 में स्थापित यूनेस्को विश्व विरासत स्थल 'दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे स्टेशन' का भी दौरा किया। अंग्रेजों द्वारा इजाजत दिए गए भाप इंजनों वाली रेल गाड़ियाँ पहाड़ी सपिले मार्गों से गुजरते हुए घुम कर 150 से भी ज्यादा क्रासिंगों को पार करती हैं।

समिति ने भारी संख्या में सैलानियों को आकर्षित करने वाले भाप इंजनों के रख - रखाव के बारे भी जानकारी हासिल की। उन्होंने हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस तरह की व्यवस्था को आरम्भ करने बारे भी विचार - विमर्श किया।

भ्रष्टाचार के दागों से शर्मसार हो रही देवभूमि: धूमल इतिहास से सबक लेकर करें भविष्य की बुनियाद तैयार: मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। हमीरपुर ब्यापेज सीनियर सेकंडरी स्कूल के खेल मैदान में त्रिदेव सम्मेलन की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से कहा सीबीआई की एफआईआर में मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारी का नाम आने से पैदा हुई किंकाएं।

पूर्व मुख्यमंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल हमीरपुर के ब्यापेज सीनियर सेकंडरी स्कूल के खेल मैदान में त्रिदेव सम्मेलन की तैयारियों का निरीक्षण करने पहुंचे। इस अवसर पर पत्रकारों से बात करते हुए प्रो. प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि देवभूमि हिमाचल पहले ही भ्रष्टाचार के दागों से बहुत शर्मसार है और कल हुई एक घटना जिसमें सीबीआई हिमाचल के एक अफसर को भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया गया है। उससे देवभूमि और बदनाम हुई है। इस मामले में सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर में मुख्यमंत्री कार्यालय के एक अधिकारी का नाम आने से कई तरह की किंकाएं जन्म ले रही हैं। सीबीआई ने अपनी एफआईआर में रिकॉर्ड किया है कि उक्त मामले के तार मुख्यमंत्री कार्यालय के एक अधिकारी से जुड़े हैं। भ्रष्टाचार का पैसा उक्त अधिकारी तक पहुंचाया जाना था। एक तरफ तो हिमाचल के नागरिकों को देश भर में सबसे

ईमानदार होने का इनाम मिलता है, और दूसरी ओर बड़े पदों पर बैठे अधिकारियों का नाम ऐसे मामलों में आने से देवभूमि बदनाम हो रही है। इस मामले की तह तक जाया जाए।



हम यह मांग करते हैं की सी बी आई इस मामले की जांच करे और सच्चाई का पता करे, क्या काम किसके नाम पर हो रहा है? कौन पैसे ले रहा है और पैसे कहाँ पहुंचाए जाने थे? किन-किन लोगों के तार इस मामले से जुड़े हुए? सीबीआई जांच करे और दोषियों को विरुद्ध कारवाई

धूमल के अतिरिक्त भाजपा विधायकों विजय अग्निहोत्री और नरेंद्र ठाकुर ने जारी संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार के मामलों से प्रदेश बदनाम हुआ है। भाजपा नेताओं ने कहा है कि एक ताजा मामले में सीबीआई द्वारा दर्ज

एफआईआर में मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारी का नाम जुड़ने से प्रदेश एक बार फिर बदनाम हुआ है। भाजपा नेताओं ने कहा की मुख्यमंत्री पहले ही पिछले साढ़े चार साल से दिल्ली में उनके विरुद्ध चल रहे आये से अधिक सम्पत्ति और भ्रष्टाचार के मामलों में न्यायालयों में भटक रहे हैं। प्रदेश माफिया राज की जकड़ में बुरी तरह फंसा हुआ है। प्रदेश के अधिकारी पहले तो इन माफियाओं के साथ कंधा मिलाते नजर आते थे। पर अब तो अधिकारी भ्रष्टाचार करने में भी आगे बढ़ रहे हैं। बड़ी से गिरफ्तार हुए एक प्रशासनिक अधिकारी के मामले में सीबीआई को मुख्यमंत्री के कार्यालय के अधिकारी से जुड़े हुए तार मिले हैं। भाजपा नेताओं ने कहा कि जनता को गुमराह करने के लिए मुख्यमंत्री खुद से जुड़े जांच मामलों को तो अरुण जेटली, प्रो. प्रेम कुमार धूमल और अनुराग ठाकुर की साजिश बताते थे। अब मुख्यमंत्री यह बताएं कि भ्रष्टाचार के इस ताजे मामले में प्रशासनिक अधिकारी की संलग्नता और मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारी के साथ इस मामले के तार जुड़े हुए होना भी क्या भाजपा नेताओं की साजिश है? भाजपा नेताओं ने कहा है कि ऐसे मुख्यमंत्री को सत्ता में बैठे रहने का कोई हक नहीं है। मुख्यमंत्री अपने पद से तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दें।

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने शिमला के डली स्थित सैक्रिड हार्ट कान्वेंट स्कूल के नवनिर्मित ऑडिटोरियम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर विद्यार्थियों को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इतिहास



महत्त्वपूर्ण घटनाओं का वह संकलन है, जिससे सबक लेकर भविष्य की बुनियाद तैयार की जा सकती है।

उन्होंने कहा कि इतिहास इस बात का साक्षी है कि जो व्यक्ति लोक से हटकर कुछ करने की हिम्मत रखते हैं समाज भी उनके साथ खड़ा होता है। इस अवसर पर प्रस्तुत नाटक 'रजिया सुल्तान' का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि रजिया सुल्तान ने यह साबित किया कि महिलाएं पुरुषों से किसी भी क्षेत्र में कम नहीं हैं। वीरभद्र सिंह ने कहा कि विद्यार्थियों को समृद्ध भारतीय इतिहास की जानकारी हासिल करने के लिए गहराई से ऐतिहासिक तथ्यों का आकलन करना चाहिए ताकि इतिहास में दर्ज घटनाक्रमों की बुनियाद तक जाया जा सके। उन्होंने कहा कि

भारत एक समृद्ध संस्कृति वाला देश है, जिसने पूरी दुनिया का शानदार दंग से मार्गदर्शन किया है।

उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार प्रदेश में सभी वर्गों के कल्याण के प्रति कृत संकल्प है और सभी को विकास के समुचित अवसर उपलब्ध करवाये जा रहे हैं। उन्होंने छात्राओं से कहा कि आज के युग में लड़कियां लड़कों से बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं, इसलिए उन्हें आगे बढ़ने के लिए उपलब्ध अवसरों का समुचित लाभ उठाना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार, प्रदेश में गुणात्मक शिक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और प्रदेश में ग्रामीण स्तर तक शिक्षा के दांचे को सुदृढ़ किया जा रहा है।

इस अवसर पर स्कूल की प्रधानाचार्य सिस्रट जैसिया ने विद्यार्थियों से कहा कि जीवन में ऊँचा मुकाम हासिल करने के लिए लक्ष्य होना आवश्यक है और उसके पश्चात् मानवता की सेवा करना मनुष्य का पहला कर्तव्य है। उन्होंने कहा स्कूल में इस तरह की शिक्षा दी जानी चाहिए कि विद्यार्थी सही और गलत का फर्क समझने में सक्षम हो सके। इस अवसर पर बिशप इमेसियर मेसक्रेनस ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया तथा स्कूल मैगजीन की पहली प्रति उन्हें भेंट की।

जल के मामले में ग्लोबल गुरु थे हम, अब 13 राज्य संकट में वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह

शिमला/शैल। वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर राजेंद्र सिंह ने कहा कि सूखे की 60 फीसद वजह मनुष्य निर्मित हैं, सूखे के लिए प्रकृति तो केवल 40 फीसद ही जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि इतिहास में देश का सबसे बड़ा नुकसान ये किया कि उसमें रसायनिक खादों, कीटनाशकों का इस्तेमाल हुआ जो पर्यावरण के लिए घातक साबित हुआ।

उन्होंने दावा किया कि उन्हीं राज्यों में किसानों ने आत्महत्याएं की हैं जहां पर खेती के लिए रसायनिक खादों व कीटनाशकों का इस्तेमाल हुआ है। वो कर्ज नहीं लौटा पाए। जहां पर आर्गेनिक खेती हो रही है वहां एक भी आत्महत्या नहीं हुई है। मैसूरसे अवाड़ी सिंह ने कहा कि पानी के मामले में हम ग्लोबल गुरु थे। अब हम पानी की संभाल क्यों नहीं कर सकते। हिमाचल को लेकर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को जल साक्षरता अभियान चलाना चाहिए। प्रदेश में पानी की संभाल नहीं हुई तो संकट ब्रेलना पड़ सकता है।

राजेंद्र सिंह राजधानी शिमला में 'कनेक्टिंग पीपल टू नेचर' विषय पर विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण राज्य परिषद की ओर से आयोजित व्याख्यानमाला के तहत अपना व्याख्यान दे रहे थे। उन्होंने कहा कि मध्य एशिया और अफ्रीका में बारिश कम नहीं हुई है वहां ये बेमौसमी हो रही है। रेन पैटर्न के हिसाब क्रॉप पैटर्न को अपनाना होगा।

डा. सिंह ने कहा कि हिमाचल के लोग तो भगवान को लाइले बेटी व बेटियाँ हैं, हम (राजस्थान) सोतेले हैं।

राजस्थान के लोगों को बादल थोड़ा पानी देते हैं जबकि हिमाचल के लोगों को बादल साल में डेढ़ मीटर पानी देते हैं। आप देने वाले हो आप बड़े हो। लेकिन ऐसे दो कि आपके पास कमी न



आए, पानी हमेशा आपके पास रहे। प्रकृति की हरियाली हमेशा रहे। उन्होंने कहा कि राजस्थान में पानी चोरी सूरज बहुत करता है। हिमाचल में बहुत कम करता है।

उन्होंने कहा कि तकनीक ने विकास को म डल को बदल दिया है। अब बड़ा वो जो सबसे बड़ा शोषणकर्ता है। जबकि पहला वो बड़ा होता था जो अपने लिए सबसे कम लेता था। आज अमेरिका सबसे बड़ा है। वो सबसे ज्यादा पानी इस्तेमाल करता है। कॉमन प्रापर्टी को हड़पने वाला है। सबसे ज्यादा प्रदूषण पैदा करता है और सबसे बड़ा अतिक्रमणकारी है। तभी वो सबसे बड़ा है। उन्होंने कहा कि अनपढ़ व आदिवासी लोग नेचर से लेते कम है और देते बहुत ज्यादा हैं। इसी तरह इंडस्ट्री ने संसाधनों को लूटा और वो बड़े हो गए।

उन्होंने कहा कि पहले पानी का प्रबंधन समाज के हाथ था लेकिन अब पानी के सारे काम राज्य ने अपने हाथ ले लिए हैं। राज्य पानी का काम नहीं

कर सकता। आज की बिड़बना ये है कि जो पानी का सबसे ज्यादा काम करता है उसे पानी पीने के लिए भी मुश्किल से मिलता है। जो पानी के लिए कुछ काम नहीं करता उसके बाथरूम में सबसे ज्यादा पानी बर्बाद होता है। इसे बदलना होगा जो पानी के लिए काम करेगा उसे ज्यादा पानी मिलना चाहिए।

पानी के काम को समाज को अपने हाथ में लेना होगा। उन्होंने कहा कि पिछले 34 सालों में राजस्थान में उन्होंने समाज के सहयोग से सात मी हुई नदियां जिंदा कर दी। बिना सरकारी व किसी संस्था की मदद के 11800 छोटे बांध बनाए, जिससे 1200 गांवों में अढ़ाई लाख कुए रिचार्ज हो गए।

वाटरमैन ऑफ इंडिया ने कहा कि मौजूदा समय में 13 राज्यों के 327 जिले सूखे की चपेट में हैं। देश का 54 फीसद एरिया पानी की कमी से जूझ रहा है।

शिमला में पानी के मामले पर उन्होंने कहा कि शिमला का पानी का जो पुराना ज्ञान है उसके बारे में शिमला के हर बच्चे में समझ आए इसकें डोंयलेंगें शुरू करना चाहिए। कम्प्युनिटी को आगे लाया जाना चाहिए। शिमला की कम्प्युनिटी डिस्ट्रिब्यूट हो गई है इसे इंटैग्रेट करने की जरूरत है तब पानी की कमी नहीं रहेगी।

इस मौके पर राज्य परिषद के संयुक्त सचिव, कुशल सत्यार्थी, निदेशक अर्चना शर्मा समेत राजधानी के कई स्कूलों के बच्चों ने शिरकत की।

युवा मतदाताओं को पंजीकृत करने के लिये विशेष अभियान एक जुलाई से

शिमला/शैल। हि.प्र. निर्वाचन विभाग के एक प्रवक्ता ने कहा कि 18 से 21 वर्ष आयुवर्ग के छूटे हुए निर्वाचकों को पंजीकृत करने के लिये 1 जुलाई से 31 जुलाई, 2017 तक विशेष अभियान आरंभ किया जा रहा है। अभियान के दौरान बूथ स्तर के अधिकारी घर-घर जाकर छूटे हुए पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में पंजीकरण के लिये प्रेरित कर उन्हें सुविधा प्रदान करेंगे।

उन्होंने कहा कि अभियान के दौरान 9 जुलाई व 23 जुलाई, 2017 को विशेष अभियान दिवसों में प्रत्येक मतदान केन्द्र पर आवेदकों से

आवेदन/आक्षेप प्राप्त किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त 3 व 17 जुलाई, 2017 को राजकीय व निजी शिक्षण संस्थानों, बहु-तकनीकी व नर्सिंग संस्थानों में युवाओं को निर्वाचन प्रक्रिया में सहभागिता के लिये प्रोत्साहित करने तथा पंजीकृत करने के लिये विशेष शिविरों का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने प्रदेश के समस्त नागरिकों, विशेषकर युवाओं, स्थानीय राजनैतिक दलों, गैर सरकारी स्वयं सेवी संगठनों, महिला व युवा मण्डलों से अभियान को सफल बनाने के लिये छूटे हुए युवा पात्र मतदाताओं के नाम दर्ज करवाने में सहयोग करने की अपील की है।

बाली ने की केन्द्र से 791 बसों की बकाया राशि जारी करने की मांग

शिमला/शैल। परिवहन मंत्री जी.एस. बाली ने नई दिल्ली में केन्द्रीय भूतल परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से भेंट की और कांगड़ा जिला के नगरोटा-बगवां में बाईपास के निर्माण की मांग की। इसके अतिरिक्त, उन्होंने केन्द्रीय मंत्री से राज्य के लिये जल परिवहन तथा इलैक्ट्रिक बसों की मांग को व्यावहारिक रूप देने सहित अन्य संबंध मांगों पर भी विस्तारपूर्वक चर्चा की। केन्द्रीय मंत्री ने उक्त मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया।

इसके पश्चात्, बाली ने केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकेया नायडू से भी मुलाकात की। उन्होंने हिमाचल प्रदेश

को जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन के अंतर्गत प्राप्त 791 बसों के लिये केन्द्र से स्वीकृत कुल 19.77 करोड़ रुपये की राशि में से 16.20 करोड़ की बकाया राशि जारी करने का आग्रह किया। केन्द्र सरकार से योजना बंद होने तक केवल 3.57 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई है, जबकि शीर्ष समिति ने सम्पूर्ण राशि की स्वीकृति प्रदान की थी। बाली ने आग्रह किया कि लगभग 80 प्रतिशत राशि बकाया है और इसे शीघ्रतापूर्वक जारी किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि केन्द्रीय मंत्री ने 16.20 करोड़ की बकाया राशि जारी करने की राज्य की मांग को स्वीकार कर लिया है।

यदि 'स्वयं में विश्वास करना' और अधिक विस्तार से पढ़ाया और अभ्यास कराया गया होता, तो मुझे यकीन है कि बुराइयों और दुःख का एक बहुत बड़ा हिस्सा गायब हो गया होता..... 'स्वामी विवेकानंद'

सम्पादकीय

गोवंश की राजनीति



गोवंश रक्षा इन दिनों राजनीति का एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। गोरक्षा के नाम पर पिछले कुछ अरसे में देश के विभिन्न भागों में गोरक्षकों के अति उत्साह के हिंसक तत्व हो जाने के कई प्रकरण सामने आ चुके हैं। गो रक्षकों के हिंसक उत्साह का शिकार कई स्थानों पर मुस्लिम और दलित समाज के लोग हुए हैं। गोरक्षकों के हिंसक होने का तर्क रहा है कि यह लोग गोवंश को मारने के लिये बूचड़खानों में ले जा रहे थे और उन्हें ऐसा करने से रोकने के प्रयास में यह दुर्घटनाएं हुई हैं। उत्तर प्रदेश में तो योगी सरकार बनने के बाद बूचड़खानों को बन्द करवाने की जो मुहिम चली थी उसका अन्त उच्च न्यायालय के आदेशों के बाद हुआ। उच्च न्यायालय ने बन्द करवाये गये कई बूचड़खानों को फिर से खुलवाया क्योंकि यह कारवाई कानून की नजर में अवैध थी। गोरक्षा के नाम पर उठे इस उत्साह को केन्द्र सरकार से लेकर राज्यों की भाजपा सरकारों का परोक्ष/अपरोक्ष समर्थन रहा है यह पूरी तरह स्पष्ट हो चुका है। गोरक्षा आन्दोलन आज जिस तरह से शकल ले रहा है वैसा ही आन्दोलन साठ के दशक में भी देश देख चुका है। उस समय इसकी अगुवाई देश का साधु समाज कर रहा था और इसके लिये स्व. गुलजारी लाल नन्दा को अपना पद तक त्यागना पड़ा था। इसी आन्दोलन का परिणाम था कि सरकार को उस समय पशु कुरता प्रतिबन्ध अधिनियम 1960 लाना पड़ा था। उस दौरान गोरक्षा आन्दोलन को कोई राजनीतिक अर्थ नहीं दिया गया था। लेकिन आज गोरक्षकों की कार्यशैली से राजनीति की गन्ध आ रही है और यही सबसे अधिक नुकसान देह है।

1960 में जो पशु कुरता प्रतिबन्ध अधिनियम आया था उसके तहत पशुओं पर होने वाली हिंसा को रोका जा सकता है लेकिन अभी जो पशु बाजारों में गोवंश व अन्य पशुओं की खरीद-बेच पर प्रतिबन्ध का जो नया अधिनियम केन्द्र सरकार लायी है उसके मुताबिक इन बाजारों/मेलों से कटाने के लिये पशुओं को नहीं खरीदा जा सकता। इस नये कानूनों के मुताबिक राज्य की सीमा के 25 किमी और अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के 50 किमी के भीतर पशु बाजार नहीं लगाया जा सकता। इस नये कानून पर देश के अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग प्रतिक्रियाएं उभरी हैं। मद्रास और केरल में इसका विरोध हुआ है। मद्रास हाईकोर्ट ने केन्द्र के इस कानून पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार और केन्द्र सरकार से चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। दूसरी ओर राजस्थान हाईकोर्ट ने केन्द्र से भी दो कदम आगे जाते हुए गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का निर्देश दिया है। गोहत्या के अपराधियों को आजीवन कारावास का आदेश दिया है। केरल के मुख्यमन्त्री विजयन ने इसे लोकतन्त्र विरोधी करार दिया है तो बंगाल में ममता बनर्जी ने इसे मानने से इन्कार कर दिया है क्योंकि यह राज्य सरकार का विषय है। मेघालय के सांसद और पूर्व मन्त्री पाला ने मोदी सरकार को पत्र लिखकर इस नये कानून को वापिस लेने का आग्रह किया है। देश के दो हाईकोर्टों की इस संदर्भ में जब अलग-अलग राय है तो निश्चित रूप से यह विषय इतना सरल नहीं है और न ही इस पर उठे विरोध को आसानी से नजर अन्दाज किया जा सकता है।

इस परिदृश्य में पूरे मुद्दे को निष्पक्षता से परखने की आवश्यकता है। गाय दूध देने वाला पशु है। गाय के साथ ही भैंस और बकरी भी दूध देते हैं। इसमें कई और पशु भी आ जाते हैं। दूध हर जीवधारी की आवश्यकता है इसमें कोई दो राय नहीं है। इन जीवधारियों में मानव की सबसे ऊपर है इसलिये सारा सरोकार इसी मानव के गिर्द केन्द्रित हो जाता है। मानव जीवन के लिये दूध के अतिरिक्त रोटी और अन्य खाद्य पदार्थ भी बहुत आवश्यक हैं लेकिन दूध की आवश्यकता जन्म लेते ही शुरू हो जाती है। माँ के दूध के बाद सबसे ज्यादा पोषक तत्व गाय के दूध में होते हैं संभवतः इसी कारण से गाय को धर्म का प्रतीक बनाकर हमारे ऋषियों ने उनकी रक्षा का विधान रख दिया है। गो हत्या को पाप की संज्ञा देना इसी रक्षा के प्रयास का गणित है। इसीलिये हर गृहस्थ को गो पालन आवश्यक था। गाय का दूध अन्य पशुओं की अपेक्षा ज्यादा श्रेष्ठ है और उसके गोबर तथा गोमूत्र में भी गुण हैं इसलिये गोरक्षा की आवश्यकता बड़ी बन जाती है। लेकिन क्या आज हर गृहस्थ गो पालन का धर्म निभा पा रहा है? बल्कि जो लोग गो रक्षक बनकर सामने आ रहे हैं उनके अपने घरों में भी शायद गो पालन नहीं हो रहा है। आज आवारा पशुओं में भी गाय सबसे अधिक देखने को मिलती है जिसका अर्थ है कि जब दूध नहीं है तो गाय को आवारा छोड़ दिया जाता है। इन आवारा पशुओं का गो सदन में भी पूरा प्रबन्ध नहीं हो पा रहा है। जिस राजस्थान के हाईकोर्ट ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का आदेश दिया है उसी राजस्थान की सरकारी गोशाला का हाल देख के सामने आ चुका है।

इस परिदृश्य में आज यह आवश्यक है कि कोई भी पशु आवारा/अनुपयोगी होकर सड़क पर न छोड़ा जाये। सारे पशुओं के पालन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। जब यह व्यवस्था सुनिश्चित हो जायेगी तभी हर तरह के पशुओं पर क्रूरता रोकी जा सकेगी। आज पशु व्यापार को ऐसे प्रतिबन्धों से रोकने के प्रयास से केवल राजनीतिक मुद्दे ही बनेंगे। बल्कि इसे धर्म के नाम पर धुवीकरण के प्रयास की संज्ञा दे दी जायेगी। इसलिये आज पशु व्यापार पर इस तरह के नियम थोपने की बजाये पशुओं के पालन की व्यवस्था सुनिश्चित करने और इसके लिये एक मानसिकता तैयार करने की आवश्यकता है। इस व्यवस्था के बाद ही यह सुनिश्चित करना आसान होगा कि किस पशु की कब क्या उपयोगिता है और उसके बाद उसका क्या प्रबन्ध किया जाना चाहिये।

कृषि को बढ़ावा देने के लिए 484 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान

हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी में कृषि क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि व इससे जुड़े क्षेत्रों का लगभग 15 प्रतिशत योगदान है। राज्य में 5.42 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर कृषि की जा रही है। प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में किसानों की आर्थिकी को सुदृढ़ करने के लिए अनेक योजनाएं व कार्यक्रम आरम्भ किए गए हैं ताकि राज्य में कृषि उत्पादों के उत्पादन में बढ़ोतरी हो। राज्य की जलवायु बैमौसमी फसलों के लिए बहुत उपयोगी है तथा सरकार द्वारा बैमौसमी सब्जियों की खेती को विशेष तौर पर बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके सार्थक परिणाम भी सामने आ रहे हैं। प्रदेश सरकार द्वारा वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान कृषि को बढ़ावा देने के लिए 484 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में कृषि को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा अनेक योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।

प्रदेश में कृषि विविधिकरण को बढ़ावा देने के लिए जापान इंटरनेशनल एजेंसी (जायका) के सहयोग से 321 करोड़ रुपये की फसल विविधिकरण प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है। यह योजना राज्य के पांच जिलों बिलासपुर, हमीरपुर, मण्डी, कांगड़ा व ऊना जिले में सात वर्ष के लिए मार्च, 2018 तक कार्यान्वित की जा रही है। योजना के अन्तर्गत सिंचाई सुविधाएं खेतों तक, सड़क मार्ग, किसानों को जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित करने के अतिरिक्त सब्जी उत्पादन व विपणन के लिए तकनीकी जानकारी उपलब्ध करवाना योजना का मुख्य उद्देश्य है। योजना के अन्तर्गत 210 लघु सिंचाई योजनाओं, 147 सम्पर्क मार्गों, 37 एकत्रीकरण केन्द्रों का निर्माण किया जाएगा। गत वर्ष योजना पर 80 करोड़ रुपये खर्च किए गए, जबकि वर्ष 2017-18 में 50 करोड़ रुपये खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है।

राज्य में पॉलीहाऊस व सूक्ष्म सिंचाई योजना को बढ़ावा देने के लिए किसानों की आर्थिकी सुदृढ़ करने के लिए डॉ. वाई.एस. परमार, किसान स्वरोजगार योजना आरम्भ की गई है। 111.19 करोड़ रुपये की इस योजना के तहत वर्ष 2014-15 से 2017-18 तक 47 हजार पॉलीहाऊस, 2150 स्प्रिंकलर/ड्रिप इकाईयों का लक्ष्य रखा गया है। इनके निर्माण पर किसानों को 85 प्रतिशत उपदान प्रदान किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त लघु उठाऊ सिंचाई योजना व पम्पिंग मशीनरी खरीदने के लिए 50 प्रतिशत का उपदान प्रदान किया जा रहा है। योजना के अन्तर्गत वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान 15 करोड़ रुपये खर्च करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। योजना के अन्तर्गत अब तक 2735 पॉलीहाऊस बनाए गए हैं।

प्रदेश में कृषि व सम्बद्ध क्षेत्रों में चार प्रतिशत की विकास दर प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना आरम्भ की गई है। योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि व सम्बद्ध क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने, कृषि कार्यक्रमों की योजना बनाना शामिल है। योजना के अन्तर्गत कृषि के साथ-साथ बागवानी, पशुपालन व मत्स्य पालन

होने पर 1.5 लाख रुपये तथा आंशिक रूप से अपंग होने पर 50 हजार रुपये की सहायता का प्रावधान किया गया है। योजना के तहत अब तक 35 किसानों को लाभान्वित किया गया है।

राज्य में कृषि फसलों को बंदर व अन्य जंगली जानवर भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसी के मद्देनजर प्रदेश सरकार ने गत वर्ष



की गतिविधियों को भी शामिल किया गया है।

राज्य में किसानों की सुविधा के लिए मुख्यमंत्री ग्रीनहाऊस नवीनीकरण योजना आरम्भ की गई है। योजना के अन्तर्गत पांच वर्ष पश्चात् प्राकृतिक कारणों से क्षतिग्रस्त होने वाले पॉलीशीट को बदलने के लिए 50 प्रतिशत सहायता प्रदान की जाएगी। योजना के तहत इस वर्ष 3 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है। राज्य में किसानों की सुविधा के लिए मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना भी आरम्भ की गई है। योजना के तहत कृषि मशीनरी के प्रयोग के दौरान किसानों तथा खेतीहर मजदूरों के घायल होने अथवा उनकी मृत्यु होने की स्थिति में बीमा सुरक्षा प्रदान किया जा रहा है, जिसके तहत मृत्यु अथवा स्थाई रूप से अपंग

मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना आरम्भ की है, जिसके अन्तर्गत बाड़ लगाने के लिए 80 प्रतिशत तक का अनुदान दिया जा रहा है। इस बाड़ को सौर ऊर्जा तथा विद्युत ऊर्जा से संचरित किया जा सकता है। योजना के लिए इस वर्ष 30 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।

सब्जी उत्पादन का राज्य की आर्थिकी में अहम भूमिका है। इसी के मद्देनजर सब्जी नर्सरी उत्पादन के लिए उत्कृष्ट केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं, ताकि किसानों को बेहतर पौधरोपण सामग्री उपलब्ध हो सके। सरकार द्वारा किए गए जा रहे प्रयासों के सफल परिणाम सामने आ रहे हैं, जिसकी राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहना की है। प्रदेश को भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा गत तीन वर्षों से कृषि कर्मण्य पुरस्कार से नवाजा गया है।

तम्बाकू सेवन विकास के समी प्रयासों को क्षीण करने में सबसे बड़ी बाधा

संतोष जैन परस्सी
आकांक्षा जैन

तम्बाकू सेवन दुनिया भर में विकास के लाभों को क्षीण करने में प्रमुख बाधा है। यह समय से पहले की विकृति/मृत्यु दर का सबसे बड़ा कारण है। तम्बाकू के उत्पादों में लगभग 5000 से 7000 विषाक्त पदार्थ होते हैं, इनमें से सबसे खतरनाक निकोटीन, कार्बन मोनोऑक्साइड और टार हैं। आमतौर पर तम्बाकू का इस्तेमाल सिगरेट, बीडी, सिगार, हुक्का, शीशा, तम्बाकू चबाना, लौंग सिगरेट, तम्बाकू सुंघना और ई-सिगरेट के रूप में होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू.एच.ओ.) की रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रति वर्ष प्रत्यक्ष तम्बाकू के इस्तेमाल/तम्बाकू के धुएँ से लगभग छह मिलियन लोगों की मृत्यु होती है और यह अधिकतर एनसीडी के लिए प्रमुख खतरे का कारक है। इसके अलावा संक्रमण की बीमारियों में से श्वसन संक्रमण और तपेदिक की वजह से लगभग 4.5 प्रतिशत मृत्यु दर का कारण तम्बाकू सेवन है। माना जाता है कि 2030 तक तम्बाकू से संबंधित बीमारियों के कारण मृत्यु दर लगभग 8 मिलियन होगी।

तम्बाकू से सभी व्यक्तियों को खतरा है, फिर चाहे वे किसी भी उम्र, लिंग, जाति और सांस्कृतिक/शैक्षिक पृष्ठभूमि का व्यक्ति क्यों न हो। प्रकार/रूप पर ध्यान दिए बिना तम्बाकू व्यक्ति के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालती है। दुनिया भर में अभी भी मृत्यु दर सबसे महत्वपूर्ण कारण धूम्रपान है, जिसे रोकना जा सकता है। सिगरेट के धुएँ में मौजूद विषाक्त पदार्थ से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर पड़ जाती है और डीएनए को नुकसान पहुँचता है, जिससे कैंसर/ट्यूमर की बीमारी होती है। सिगरेट के धुएँ से प्रभावित होने वाले अन्य लोगों के हृदयवाहिनी प्रणाली पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिससे उनमें कोरोनरी हृदय रोग/स्ट्रोक हो जाते हैं। सिगरेट के धुएँ के कारण शिशुओं/बच्चों को बार-बार गंभीर अस्थमा के दौर पड़ते हैं, श्वसन/कान संक्रमण होता है और शिशु की अचानक मृत्यु हो सकती है।

भारत में लगभग 274.9 मिलियन लोग तम्बाकू का सेवन करते हैं। इनमें से 163.7 मिलियन लोग धुआँ रहित तम्बाकू (एसएलटी), 68.9 मिलियन धूम्रपान करते हैं और 42.3 मिलियन दोनों का इस्तेमाल करते हैं। एसएलटी का इस्तेमाल विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र (वैश्विक वयस्क तम्बाकू सर्वेक्षण, 2009-10) में अधिक किया जाता है। एनएफएचएस-3 (2005-06) की तुलना में एनएफएचएस-4 (2015-16) के आंकड़ों से वयस्कों के (पुरुष: 57 प्रतिशत से 44.5 प्रतिशत, महिला: 10.8 प्रतिशत से 6.8 प्रतिशत) तम्बाकू के इस्तेमाल में कमी के संकेत मिलते हैं।

तम्बाकू के इस्तेमाल से जुड़े स्वास्थ्य संबंधी खतरों को उजागर करने और तम्बाकू के उपभोग को रोकने के लिये प्रभावी नीतियों की डिमांड करने के वास्ते प्रति वर्ष 31 मई को 'विश्व तम्बाकू निषेध दिवस' मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है - 'तम्बाकू-विकास के लिए खतरा', जो तम्बाकू के इस्तेमाल, तम्बाकू निर्यात और सतत विकास के बीच के संबंध को रेखांकित करता है। सीबीडी, कैंसर और सीओपीडी सहित एनसीडी के कारण समय से पहले होने वाली मृत्यु में एक तिहाई कमी लाने के 3.4 एसडीजी के लक्ष्य को 2030 तक हासिल करने के लिए सतत विकास

एजेंडा में तम्बाकू पर नियंत्रण को सख्ती से शामिल किया गया है। तम्बाकू की खेती के लिए प्रति वर्ष 2-4 प्रतिशत वैश्विक वनों की कटाई की जाती है और इसके उत्पाद निर्माण से 2 एमटी से अधिक का ठोस कचरा पैदा होता है। तम्बाकू की खेती के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कीटनाशक/उर्वरक आमतौर पर जहरीले होते हैं और जलापूर्ति को प्रदूषित करते हैं।

तम्बाकू पर व्यापक नियंत्रण से तम्बाकू की खेती, उत्पादन, व्यापार और उपभोग से पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव से निपटने के साथ ही गरीबी और भूख के दुष्प्रभाव को रोका जा सकता है। इसके अतिरिक्त इससे सतत कृषि/आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया और जलवायु परिवर्तन के ज्वलंत मुद्दे से निपटा जा सकता है। तम्बाकू उत्पादों पर कर बढ़ाना व्यापक स्वास्थ्य कवरेज और अन्य विकास कार्यक्रमों के वित्त पोषण के लिये सहायक हो सकता है।

सतत तम्बाकू-मुक्त विश्व के लिए सरकारी प्रयासों के अलावा, व्यक्ति/समुदाय भी काफी योगदान दे सकते हैं। तम्बाकू एनसीडी के लिए प्रमुख निवारक खतरे का कारक होने का कारण, लगातार बढ़ती बीमारी के बोझ को कम करने और देशों का विकास को सुनिश्चित करने में सामूहिक तम्बाकू नियंत्रण प्रयासों की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। तंबाकू की महामारी से निपटने के लिए तंबाकू नियंत्रण पर डब्ल्यू.एच.ओ. फेमवर्क कन्वेंशन में विश्व बैंक ने तम्बाकू उत्पादों को अवहनीय बनाने के लिए कर नीति में सुधार का प्रस्ताव किया, जिससे तम्बाकू का इस्तेमाल कम और लोगों के स्वास्थ्य में सुधार होगा।

एमएचएफडब्ल्यू (भारत सरकार) द्वारा शुरू किया गया राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम (2007-08) का उद्देश्य तम्बाकू नियंत्रण कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन के साथ ही तम्बाकू के हानिकारक प्रभावों के संबंध में जागरूकता फैलाना है। इस कार्यक्रम के तहत समग्र नीति तैयार करने, योजना बनाने, निगरानी करने और विभिन्न गतिविधियों का मूल्यांकन करने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण इकाई की है।

तम्बाकू पर कर बढ़ाकर इसकी कीमत में बढ़ोत्तरी एक प्रभावी रणनीति है, देश में सिगरेट और बड़े पैमाने पर बीडी उत्पादन (लघु/कुटीर उद्योगों को छोड़कर) उद्योग पर उत्पाद शुल्क लागू है। तम्बाकू के इस्तेमाल को रोकने के अन्य प्रयासों में स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाना, तम्बाकू रोधी अभियान, तम्बाकू का सेवन करने वालों के लिए व्यसन से बचाने/युनर्वस के कार्यक्रम बढ़ाना, अन्य लोगों का धूम्रपान के संपर्क को कम करना, तम्बाकू के विज्ञापनों, प्रसार और प्रायोजन पर प्रतिबंध लगाना शामिल है। इसके अतिरिक्त एम तम्बाकू समिति कार्यक्रम भी चल रहे हैं।

जनता के स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए 2003 में भारत सरकार ने सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन पर प्रतिबंध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति तथा वितरण का नियंत्रण) अधिनियम लागू किया था, जिसमें (सीओपीटीए) 2014 में संशोधन

किया गया। इसमें सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने पर प्रतिबंध, विज्ञापन

पर बल दिया है। जिसमें तम्बाकू के इस्तेमाल की निगरानी/रोकथाम नीतियाँ,



और नाबालिगों/शैक्षिक संस्थानों के नजदीक तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक, तम्बाकू उत्पादों के पैकेट पर सचित्र स्वास्थ्य चेतावनी तथा उत्पाद में टार/निकोटीन के भाग को नियंत्रित करने का प्रावधान है। सीओपीटीए को लागू करने में राज्यों के अधिकार बढ़ाने तथा तम्बाकू के सेवन से स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव और अन्य लोगों पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 2007 में भारत सरकार ने पायलट राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम (एनटीसीपी) का शुभारंभ किया था। 2012-17 के दौरान सरी 36 राज्यों/672 जिलों को चर्चामुद्द रूप से कवर करने के लिए 700 करोड़ रुपये के बजटीय आवंटन के साथ एनटीपीसी का विस्तार किया जा रहा है।

डॉ. मागरेट चौन (महानिदेशक, डब्ल्यू.एच.ओ.) ने तम्बाकू नियंत्रण उपायों एमपीओडब्ल्यूआईआर के तुरंत कार्यान्वयन

में संयुक्त रूप से भारत में तम्बाकू नियंत्रण उपायों के लिए तकनीकी चर्चा आयोजित की थी। बच्चों और किशोरों के बीच तम्बाकू के इस्तेमाल को रोकने के लिए युवा उत्प्रेरक के रूप में अपने साथियों, परिवारों और समाज में तम्बाकू का इस्तेमाल न करने की वकालत कर सकते हैं। इसलिए तम्बाकू के सेवन के दुष्प्रभावों को उजागर करने के लिए स्कूल आधारित कार्यक्रमों के जरिए उनमें जागरूकता फैलाना अति आवश्यक है। इसके अलावा डब्ल्यू.एच.ओ. ने सभी राष्ट्रों को तम्बाकू उत्पादों की सादी पैकेजिंग करने का निर्देश दिया है।

राष्ट्रीय कैंसर रोकथाम और अनुसंधान संस्थान में 'वैश्विक धुआँ रहित तम्बाकू ज्ञान केंद्र' की स्थापना की गई है। तम्बाकू या निकोटीन वाले नुस्खे/पान मसाला के उत्पादन और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। 'स्वस्थ रहें, गतिशील रहें, पहल' के

अंतर्गत भारत सरकार ने टीओपी टोबैको सेवेशन क्वीटलाइन और एम सेवेशन सर्विस का शुभारंभ किया है। तम्बाकू का उपभोग दशनि वाली फिल्मों में तम्बाकू रोधी स्वास्थ्य स्थलों, चेतावनी और संदेश प्रदर्शित करना अनिवार्य है।

मार्च, 2017 में हमारी सरकार ने सभी तम्बाकू उत्पादों के लिए निर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी के 2 चित्र को शामिल करने के लिए सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (पैकेजिंग/लेबलिंग) नियम 2008 में, संशोधन किया जो एक अप्रैल, 2017 से प्रभावी है।

तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापन पर प्रतिबंध के बावजूद एसएलटी निर्माता अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए भ्रामक ब्रांड साझा करने की रणनीतियों और मशहूर हस्तियों द्वारा विज्ञापन करवाने जैसे अन्य उपायों का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि सरकार पर्यावरण, खाद्य सुरक्षा और अन्य विनियमों के जरिए एसएलटी उत्पादों को सख्ती से नियमित करती है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम में पैक किए गए एसएलटी उत्पादों का उत्पादन, बिक्री, परिवहन और भंडारण पर रोक का प्रावधान है। इसके अलावा एसएलटी के बारे में जन जागरूकता संदेश और प्रभावी ध्वजस्थित निगरानी प्रणाली व्यापक तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के आवश्यक अंग है।

हमें सामूहिक रूप से रोकें जा सकने वाले विकृति/मृत्यु दर के इस प्रमुख कारण का मुकाबला करना होगा। तम्बाकू के उपभोग/तम्बाकू के धुएँ के संपर्क के विनाशकारी परिणामों से हमारी वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के स्वास्थ्य/धार्मिक/पर्यावरणीय/आर्थिक सुरक्षा की तुरंत आवश्यकता है।

सस्ती दवाओं तक गरीबों की पहुंच हेनी चाहिए

भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा था, 'सस्ती दवाओं तक गरीबों की पहुंच होनी चाहिए' दवा के अभाव में गरीब की जान नहीं जानी चाहिए... इसीलिए देश भर में जन औषधि केंद्रों की योजना बनाई गई है।

सबको सस्ती दवा पर बेहतर जेनेरिक दवाओं की उपलब्धता के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के औषधि विभाग ने देश भर में नवम्बर, 2008 को 'जन औषधि योजना' की शुरुआत की। सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम फार्मा ब्यूरो (बीपीपीआई) के जरिये योजना को लागू किया जा रहा है। भारत सरकार के रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के औषधि विभाग का इस पर प्रशासनिक नियंत्रण है।

सितंबर, 2015 में 'जन औषधि योजना' में सुधार करके इसे 'प्रधानमंत्री जनौषधि योजना (पीएम जेवाई)' के रूप में विकसित किया गया। योजना में और तेजी लाने के लिए नवम्बर, 2016 में इसका 'प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि परियोजना' (पीएम बीजेपी) के रूप में दोबारा नामकरण किया गया। वर्ष 2016-17 के लिए संसद में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने पीएमजेवाई का विशेष उल्लेख किया था। वित्त मंत्री ने बजट भाषण कहा था कि 'सस्ती दवा पर बेहतर दवाओं की उपलब्धता से सुनिश्चित करना एक बड़ा चुनौती रहा है। हम जेनेरिक दवाओं की आपूर्ति को नया जीवन देंगे। वर्ष 2017 के दौरान प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत 3000 स्टोर खोले जायेंगे।'

इस योजना के तहत गुणवत्ता औषधि तक सुगमता सुनिश्चित करना, गुणवत्ता जेनेरिक दवाओं के दायरे को बढ़ाना ताकि दवाओं पर किए जाने वाले

खर्च में कमी आए और इस तरह प्रति व्यक्ति उपचार पर होने वाले खर्च को दोबारा परिभाषित किया जाए। जेनेरिक दवाओं के विषय में शिक्षा और प्रचार के जरिये जागरूकता बढ़ाना ताकि दवाओं की गुणवत्ता की अवधारणा केवल महंगी कीमत तक सिमट कर न रहे। सरकारी, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, निजी क्षेत्र, गैर सरकारी संगठनों, सोसाइटीय, सहकारी निकायों और अन्य संस्थानों को साथ जन कार्यक्रम, सभी उपचारात्मक वर्गों में जहां भी आवश्यकता हो, कम उपचार खर्च और आसान उपलब्धता के जरिये बेहतर स्वास्थ्य सुविधा तक पहुंच में सुधार लाकर जेनेरिक दवाओं के लिए मांग बढ़ाना के लिये सरकार प्रयास कर रही है।

सरकार द्वारा उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए दवाओं को विश्व स्वास्थ्य संगठन आदर्श निर्माण प्रक्रिया (जीएमपी), वर्तमान आदर्श निर्माण प्रक्रिया (यूसएफडीए) और प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि केंद्रों को दवा आपूर्ति करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से खरीदा जाता है। दवा के प्रत्येक बैच की जांच बीपीपीआई के नेशनल एक्सेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल (एनएक्वटीएल) द्वारा प्रमाणित प्रयोगशालाओं करती है। इसके तहत दवाओं की गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभाव को आवश्यक मानकों पर परखा जाता है। इन प्रयोगशालाओं से प्रमाणित होने के बाद ही दवाओं को सी एवं एफ एजेंटों, वितरकों और जन औषधि केंद्रों को भेजा जाता है।

पीएमबीजेपी का प्रयास है कि बाईडे उत्पादों की तुलना में 50 प्रतिशत कम कीमत पर उपलब्ध कराई जाये ताकि सबको, खासतौर से गरीब व्यक्तियों को सस्ती दवा पर दवा उपलब्ध

हो। परिणामस्वरूप लोगों को दवा खर्च में काफी कमी आई है।

पीएमबीजेपी केंद्र खोलने के लिए आवेदकों को वित्तीय सहायता भी दी जा रही है। सरकारी अस्पतालों/ मेडिकल कॉलेज परिसरों में पीएमबीजेपी केंद्र खोलने के लिए 2.50 लाख रुपये तक की एक मुश्त वित्तीय सहायता दी जा रही है, जिसमें फर्नीचर और अन्य सामानों के लिये 1 लाख रुपये, शुरुआत में मुफ्त दवाओं के रूप में 1 लाख रुपये व कम्प्यूटर, इंटरनेट, प्रिंटर, स्कैनर आदि के लिए 50 हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जा रही है।

बीपीपीआई द्वारा उपलब्ध साफ्टवेयर के इस्तेमाल से चलने वाले इंटरनेट के जरिये बीपीपीआई मुख्यालयों से जुड़े जो निजी उद्यमी/फार्मासिस्ट/एनजीओ/धर्मार्थ संगठन/पीएमबीजेपी केंद्र चला रहे हैं, उन्हें 2.5 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जायेगी। यह धनराशि उन्हें 15 प्रतिशत मासिक बिक्री पर मिलेगी जिसकी मासिक सीमा 10 हजार रुपये होगी और कुल सीमा 2.5 लाख रुपये होगी।

पूर्वोत्तर राज्यों, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों में प्रोत्साहन दर 15 प्रतिशत होगी और उसकी मासिक सीमा 15,000 रुपये होगी और कुल सीमा 2.5 लाख रुपये होगी।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दिव्यांग आवेदकों को 2.5 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि के दायरे में 50,000 रुपये की कीमत की दवाइयां दी जायेगी। यह धनराशि उन्हें 15 प्रतिशत मासिक बिक्री पर मिलेगी जिसकी मासिक सीमा 10 हजार रुपये होगी और कुल सीमा 2.5 लाख रुपये होगी।

चुने प्रतिनिधियों का शोषण बर्दाश्त नहीं: धूमल दम है तो नगर निगम चुनाव पार्टी चुनाव चिन्ह पर लड़कर देखो: धूमल

शिमला/शैल। हमीरपुर जिला की सुजानपुर विधानसभा से सम्बन्ध रखने वाले दर्जन भर पंचायतों के प्रधान एवं अन्य प्रतिनिधियों ने समीरपुर में पूर्व मुख्यमंत्री से मुलाकात कर सरकार द्वारा किये जा रहे उनके उत्पीड़न से बचाने की गुहार लगाई। चुने हुए पंचायत प्रधानों और अन्य पंचायत प्रतिनिधियों ने बताया की जबरदस्ती उन पर कांग्रेस को समर्थन देने के लिए दबाव बनाया जा रहा है और यदि पंचायत प्रधान और अन्य प्रतिनिधि ऐसा करने से मना कर रहे हैं तो उन्हें उनके पद से जबरदस्ती या किसी षड्यंत्र के तहत फंसा कर हटाने की धमकी दी जा रही है। सरकार और सत्ता पक्ष से जुड़े लोग पंचायत प्रतिनिधियों शोषण कर रहे हैं। पंचायत प्रतिनिधियों ने पूर्व मुख्यमंत्री से गुहार लगाई की उन्हें इस भय युक्त माहौल से बचाया जाए और लोकतांत्रिक प्रणाली की

छोटी किन्तु महत्वपूर्ण संरचना के वजूद को सत्ता पक्ष के हाथों में खेलने से बचाया जाए। प्रो. धूमल ने पंचायत प्रधानों और प्रतिनिधियों को आश्वासन देते हुए कहा की चुने हुए पंचायत प्रतिनिधियों व प्रधानों का शोषण किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पंचायती राज संस्थाओं की स्वायत्तता और अधिकारों का हनन करने वाले लोगों को सचेत करते हुए उन्होंने कहा की भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और भारत में लोकतांत्रिक प्रणाली से छेड़छाड़ या उस पर दबाव डालने की कोई भी कोशिश करेगा तो उसको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। प्रो. धूमल ने कहा की प्रदेश सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के चुने हुए प्रतिनिधियों के आर्थिक अधिकार छीन कर वैसे ही बहुत अन्याय किया है। लेकिन अब पंचायती राज

प्रतिनिधियों को दबाव में लाकर उत्पीड़ित किया जा रहा है जिसका भाजपा विरोध करती है और ऐसे छोटी सोच और घटिया राजनीति की निंदा करती है। भाजपा सत्ता में वापिस आकर पंचायती राज संस्थाओं के चुने हुए प्रतिनिधियों के छीने हुए अधिकार उन्हें स-सम्मान वापिस करेगी और पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों को बूटें षड्यंत्रों में फंसाने वाले अधिकारियों की भी अच्छी तरह खबर लेगी। प्रतिनिधिमंडल में ग्राम पंचायत के प्रधान विनय कुमार, दाला के प्रधान जगन कटोच, धबड़ियाणा के प्रधान अश्वनी, पनोह के प्रधान विजय, बनाल के प्रधान प्रकाश ठाकुर, चबूतरा के प्रधान डा. ओंकार, जन्तु पंचायत के प्रधान प्रवीण सहित सुजानपुर भाजपा मण्डल के महामंत्री पवन कुमार सहित अन्य प्रतिनिधि शामिल थे।

शिमला/शैल। हमीरपुर में पूर्व मुख्यमंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि माननीय उच्च न्यायालय ने राज ठाकुर की याचिका पर शिमला निगम चुनाव की घोषणा और तिथियों से सम्बन्धित ऐतिहासिक फैसला सुनाया है इसके लिए हम माननीय उच्च न्यायालय की धन्यवादी हैं। उन्होंने कहा की प्रदेश सरकार और शिमला म्युनिसिपल कमिटी को पहले ही यह समझ आ जाना चाहिए था कि वह तय समय सीमा के तहत चुनाव करवाते। उन्होंने दावा किया कि शिमला नगर निगम चुनाव भाजपा जीतेगी और मेयर और डिप्टी मेयर भी भाजपा के बनाकर नया इतिहास रचेंगी। पत्रकारों के सवाल के जवाब में प्रो. धूमल ने कहा कि हम तो पहले से ही कहते हैं कि स्थानीय निकायों के चुनाव पार्टी चुनाव चिन्ह पर होने चाहिए। चुनाव जीतने के बाद यह दावे करना की जीता हुआ प्रत्याशी किसका है से बेहतर है चुनाव पार्टी चिन्ह पर हों। प्रो. धूमल ने चुनौती देते हुए कहा की प्रदेश सरकार में दम है और नैतिकता है तो शिमला नगर निगम चुनाव पार्टी चिन्ह पर करा के देख लें।



प्रो. धूमल ने अन्य सवाल के जवाब में कहा कि वीरभद्र सिंह अपने दोषों को छुपाने के लिए अन्य लोगों पर दोषारोपण करते हैं। अरुण जेटली, अनुराग ठाकुर और खुद उन्होंने थोड़े ही वीरभद्र सिंह के खालों में पैसे डलवाए, इन्श्योरेंस करवाई, वीरभद्र सिंह को अभी सिर्फ जमानत मिली है, यह एक नोरमल प्रक्रिया है। न्यायालय में जब किसी व्यक्ति के खिलाफ चालान पेश हो जाता है तो जमानत मिल जाती है। यह साधारण प्रक्रिया है और उनको हक भी था जमानत मिलने का। मुकदमा आगे चलेगा और जो फैसला होगा वो सबके सामने आएगा। इस अवसर पर जिला प्रभारी एवम पूर्व मंत्री प्रवीण शर्मा, संगठन मंत्री संजीव कटवाल, जिला अध्यक्ष अनिल ठाकुर, जिला महामंत्री राकेश ठाकुर, अजय शर्मा, जिला कोषाध्यक्ष तेज प्रकाश चोपड़ा, जिला मीडिया प्रभारी अंकुश दत्त शर्मा, सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे।

चुनाव संबंधी गतिविधियों का सचिव चुनाव आयोग ने किया ऑडिट

शिमला/शैल। बचत भवन ऊना में चुनाव संबंधी गतिविधियों का भारत निर्वाचन आयोग के सचिव सुमित मुखर्जी की अध्यक्षता में लेखा परीक्षण किया गया। जिसमें विभिन्न राजनैतिक दलों, चुनाव पंजीकरण अधिकारियों (एसडीएम), सहायक चुनाव पंजीकरण अधिकारियों (तहसीलदार व नायब तहसीलदार) तथा जिला के पांचों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों से संबंधित पांच-पांच बूथ लेवल अधिकारियों एवं पर्यवेक्षकों ने भाग लिया।

इस दौरान उन्होंने मतदाता सूचियों का भी अवलोकन किया तथा निर्देश दिए कि चुनाव आयोग के मतदाता पंजीकरण नियमों के तहत ऐसे सभी पात्र व्यक्तियों के नामों को मतदाता सूची में जोड़ा जाए जो पात्र हैं तथा अपात्रों के नाम को हटाया जाए। उन्होंने सभी अधिकारियों से मतदाता सूचियों के पुनर्निरीक्षण के दौरान व्यापक प्रचार-प्रसार पर भी बल दिया ताकि लोगों को इस संबंध में समय पर सूचना मिल सके। उन्होंने सभी चुनाव अधिकारियों को सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक सहभागिता (स्वीप) कार्यक्रम के अंतर्गत मतदान व इसके महत्त्व बारे लोगों को जागरूक करने के लिए व्यापक प्रचार प्रसार करने पर बल दिया।

इससे पहले उन्होंने विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी मतदाता सूची, मतदान केन्द्रों व अन्य निर्वाचन प्रक्रिया के संबंध में भी विस्तृत विचार-विमर्श किया। उन्होंने समस्त राजनैतिक दलों से आग्रह किया कि सभी मतदान केन्द्रों पर अपने-अपने बूथ लेवल एजेंट नियुक्त करें, ताकि पात्र व्यक्ति मतदाता सूची में समय पर अपना नाम दर्ज करवा सके। साथ ही कहा कि सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि निर्वाचन विभाग द्वारा समय-समय पर मतदाता सूचियों को दुरुस्त करने के लिए चलाए जाने वाले कार्यक्रमों में भी बढ़चढ़ कर भाग लें तथा इस संबंध में जानकारी को स्थानीय लोगों तक पहुंचाने में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें।

अधिकारी सरकारी खजाने को लूटने का काम कर रहे विनोद कुमार

शिमला/शैल। उद्योग विभाग के संयुक्त निदेशक तिलक राज शर्मा की घूसकांड में सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी हिमाचल प्रदेश की सरकारों का कार्य-संस्कृति को कलंकित करने का काम कर गई है, जो भ्रष्ट अधिकारियों को सत्ता के संरक्षण में ऐसे कृत्य करने के लिए प्रोत्साहित करती है। हिमाचल प्रदेश की जांच एजेंसियां ऐसे बड़े मामलों को पकड़ने में असफल सिद्ध होती रही है व केवल पटवारी और कानूनगो को 500 और 1000 रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में पकड़कर अपनी पीठ थपथपाने का काम करती है अन्यथा प्रदेश को जमानत मिली है, यह एक नोरमल प्रक्रिया है। न्यायालय में जब किसी व्यक्ति के खिलाफ चालान पेश हो जाता है तो जमानत मिल जाती है। यह साधारण प्रक्रिया है और उनको हक भी था जमानत मिलने का। मुकदमा आगे चलेगा और जो फैसला होगा वो सबके सामने आएगा। इस अवसर पर जिला प्रभारी एवम पूर्व मंत्री प्रवीण शर्मा, संगठन मंत्री संजीव कटवाल, जिला अध्यक्ष अनिल ठाकुर, जिला महामंत्री राकेश ठाकुर, अजय शर्मा, जिला कोषाध्यक्ष तेज प्रकाश चोपड़ा, जिला मीडिया प्रभारी अंकुश दत्त शर्मा, सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे।

इसलिए परिसंघ की सीबीआई से यह मांग है कि इस कांड की जांच का दायरा बढ़ाया जाये ताकि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों और राजनेताओं का गठजोड़ बेनकाब हो सके। दुर्भाग्यपूर्ण है कि हिमाचल प्रदेश की व्यवस्था ऐसे अधिकारियों के अनैतिक कार्यों के कारण बदनाम हो रही है जबकि ऐसे अधिकारियों को दण्डित करने की बजाए सरकार इनका बचाव करने का काम करती है। परिसंघ ने सरकार से मांग की है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ऐसे उन सभी अधिकारियों की सम्पत्तियों को खंगाले जो वर्षों तक राजनीतिक संरक्षण से मनचाहे पदों पर मनचाही जगहों पर विराजमान रहते हैं। परिसंघ न होती कि वह अनुदान राशि जारी करने की एवज में इतनी भारी लाखों के कि जहां देश में हिमाचल के लोगों को सबसे ईमानदार होने का गौरव प्राप्त हो रहा है उस प्रदेश का मुख्यमंत्री और उनके मंत्री, सन्तरी, अधिकारी भ्रष्टाचार में शामिल हो, और जमानतें करवा कर प्रदेश का नाम बदनाम कर रहे हैं। ऐसे भ्रष्टाचारियों के टोले की बातों में जनता आने वाली नहीं है।

राजिंदर राणा जिसे लोकप्रियता कह रहे हैं उसे बदनामी कहते हैं: भाजपा

शिमला/शैल। भाजपा विधायकों नरेंद्र ठाकुर एवं विजय अग्रिहोत्री ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए आपदा प्रबंधन बोर्ड के उपाध्यक्ष राजिंदर राणा के उस बयान की जिसमें उन्होंने भाजपा को वीरभद्र सिंह की लोकप्रियता से ईर्ष्या कर बदले की भावना से कार्यवाही करने का आरोप लगाया था कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि सत्ता के नशे में राणा वीरभद्र सिंह के दरबारी बन कर बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राणा जिसे वीरभद्र सिंह की लोकप्रियता कह रहे हैं वो लोकप्रियता नहीं बदनामी है और ऐसे बदनाम व्यक्ति की वाह वाही राणा कर रहे हैं। उन्होंने कहा

कि वीरभद्र सिंह के केलों के नाम पर कौन लोग है जो पैसा इकट्ठे करने में लगे हैं, सारा प्रदेश जान चुका है। उन्होंने कहा कि राणा जनता के बीच बने रहने के लिए कभी मोदी को कोसते हैं तो कभी किसी केंद्रीय बड़े नेता को, लेकिन वो अपना कद और औकात नहीं देखते की वो कहा खड़े हैं। जो व्यक्ति भ्रष्टाचारी, जमानत पर छूटे हुए मुख्यमंत्री का कारिदा बना हो उससे क्या उम्मीद की जा सकती है। शराब माफिया, रिश्वत माफिया, खनन माफिया, नशा माफिया, भू-माफिया और वन माफिया को किसका संरक्षण है ये सब जनता अब जान चुकी है। जांच

एजेंसियां काम कर रही हैं, शीघ्र ही और जानकारी बाहर आ जाएगी। उन्होंने कहा कि राणा का जनता को छलने वाला खेल अब खत्म हो चुका है। लोग इन सब माफिया सरगनाओं को पहचान चुकी है। भाजपा नेताओं ने कहा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जहां देश में हिमाचल के लोगों को सबसे ईमानदार होने का गौरव प्राप्त हो रहा है उस प्रदेश का मुख्यमंत्री और उनके मंत्री, सन्तरी, अधिकारी भ्रष्टाचार में शामिल हो, और जमानतें करवा कर प्रदेश का नाम बदनाम कर रहे हैं। ऐसे भ्रष्टाचारियों के टोले की बातों में जनता आने वाली नहीं है।

मुख्यमंत्री ने रोहडू में रस्वी 10.24 करोड़ स्थानीय परम्पराएं आध्यात्मिक के विकासात्मक कार्यों की आधारशिलाएं विकास के लिए महत्वपूर्ण: मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने रोहडू विधानसभा क्षेत्र में 10.24 करोड़ रुपये की विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं की आधारशिलाएं रखीं।

मुख्यमंत्री ने कुटारा तथा बड़छ को जलसभा को सम्बोधित करते हुए कहा

द्वारा रोहडू से नई दिल्ली के लिए लगजरी वाल्वो सेवा आरम्भ की जाएगी।

उन्होंने कहा कि रोहडू क्षेत्र के 25 गांवों की 5000 की आबादी को जलापूर्ति सुविधा प्रदान करने के लिए 4 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित

योजना भगनोली की आधारशिलाएं रखीं। वीरभद्र सिंह ने 2.66 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाले राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, गंगटोली के खेल छात्रावास (लड़कों) तथा 1.94 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाले राजकीय कन्या पॉलीटेक्निक कालेज रोहडू के छात्रावास की आधारशिलाएं रखीं।

मुख्यमंत्री ने कुटारा में लोक निर्माण विभाग गृह की घोषणा भी की।

कुटारा से रोहडू के मार्ग में गावना, नोई, दरकोट, झालटू, खुड्डु, करालश तथा ब्रसाली में भारी संख्या में लोगों ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया तथा संबंधित क्षेत्रों की मांगों से उन्हें अवगत करवाया।

मुख्यमंत्री ने पेयजल आपूर्ति योजनाओं का सुचारू संचालन सुनिश्चित बनाने के लिए सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने प्रदेश में पेयजल आपूर्ति योजनाओं के कार्य में किसी भी तरह की कोताही बरतने पर विभाग के कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार ने पेयजल आपूर्ति योजनाओं के उचित ढंग से कार्य करने हेतु धनराशि तथा बजट का पर्याप्त प्रावधान किया है।

स्थानीय विधायक एम.एल. बराकटा ने कहा कि कांग्रेस सरकार के वर्तमान कार्यकाल के दौरान रोहडू विधानसभा क्षेत्र में उल्लेखनीय विकास हुआ है।

परिवहन एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री जी.एस. बाली तथा रोहडू कांग्रेस अध्यक्ष ईश्वर दास छोहारू भी इस अवसर पर उपस्थित थे।



कि सभी विकासात्मक कार्यों को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा कर लिया जाएगा ताकि जनता को इनका समुचित लाभ प्राप्त हो सके।

वीरभद्र सिंह ने कहा कि रोहडू घाटी प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है तथा क्षेत्र के प्रत्येक भाग में अद्भुत नजारे हैं। उन्होंने कहा कि रोहडू के आंतरिक व अनछुए भागों की ओर पर्यटकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए घाटी की अधोसंरचना को सुदृढ़ किया जाएगा। इस विधानसभा क्षेत्र के आंतरिक भागों तक पहुंचने के लिए 10 नई बसों की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके अतिरिक्त, हिमाचल पथ परिवहन निगम

नई जलापूर्ति योजना भी क्रियाशील हो गई है।

मुख्यमंत्री ने कुटारा में 57.59 लाख रुपये की लागत से निर्मित होने वाले पशु चिकित्सालय की आधारशिला रखी।

उन्होंने 1.36 करोड़ से निर्मित होने वाली उठाऊ पेयजल योजना गावना, 89 लाख रुपये की लागत से निर्मित होने वाली उठाऊ पेयजल योजना कन्दरोड़ा/खंगतेरी, 1.07 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाले राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भलूण के भवन तथा 1.75 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाली उठाऊ पेयजल

सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों के इंजीनियरों को आपदा प्रबन्धन में किया जाएगा प्रशिक्षित

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने आपदा जोखिम में कमी लाने के लिए सेदाई ढांचे के कार्यान्वयन पर दो दिवसीय राज्य स्तरीय सम्मेलन के समापन

बाहुल्य क्षेत्रों में आपदा के लिए पर्याप्त तैयारी की जा सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस सम्मेलन से विचारों तथा अनुभवों का



समारोह के अवसर पर कहा कि सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के इंजीनियरों विशेषकर सिविल इंजीनियरों को आपदा प्रबन्धन तकनीकों का प्रशिक्षण देना चाहिए, ताकि प्रदेश के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में आपदा प्रबन्धन के आदर्श रूप को लागू किया जा सके।

उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत स्तर पर शहरी क्षेत्रों में वाई स्तर पर समुदायों को संभावित आपदा बारे जागरूकता व जानकारी प्रदान की जानी चाहिए, ताकि विशेषकर जनसंख्या

आदान-प्रदान भवनों के निर्माण में बचाव नीति तथा आपदा में कमी व प्रबन्धन में सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि आपदा का सुनिश्चित समय जान पाना कठिन है, परन्तु इससे निपटने के लिए तैयार रहने से नुकसान को कम किया जा सकता है।

वीरभद्र सिंह ने कहा कि पहाड़ी राज्य होने के कारण हिमाचल प्रदेश में विभिन्न आपदाओं का खतरा बना रहता है। उन्होंने कहा कि आगजनी, बाढ़, भू-स्खलन के अलावा प्रदेश में भूकम्प

की संभावना भी बनी रहती है। उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन में प्रदेश के सभी हितधारकों के शामिल होने से भवन सहभागिता के लिए बहुक्षेत्रीय तथा बहु अनुशासनिक प्रणाली को स्थापित करने तथा पुनः स्थिति बहाल करने की नीति अपनाने में भी सहायता मिलेगी।

प्रदेश सरकार ने आपदा राहत दिशा-निर्देशों के दृष्टिगत हि.प्र. राहत मैनुअल प्रक्रिया की समीक्षा तथा उन्नयन की पहल की है। प्रदेश में संभावित आपदा के दृष्टिगत राज्य व जिला स्तर पर आपदा प्रबन्धन योजना तैयार की गई है।

राजस्व विभाग व आपदा प्रबन्धन के विशेष सचिव डी.डी. शर्मा ने कहा कि राज्य स्तरीय सम्मेलन का उद्देश्य पुनः स्थिति बहाल करने की योजना बनाना तथा स्थानीय स्तर पर सेदाई ढांचे का कार्यान्वयन करना है।

अतिरिक्त मुख्य सचिव नेन्द्रे चौहान, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के आपातकालीन विश्लेषक जी. पद्मानभन, सार्वजनिक विभाग के आर्थिक सलाहकार प्रदीप चौहान, विभिन्न जिलों के उपायुक्त, अतिरिक्त उपायुक्त व अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने शिमला जिला के रोहडू विधानसभा क्षेत्र के दो दिवसीय दौर के दौरान देवता पोंदरा तथा देवता महेश्वर के मन्दिरों में पूजा-अर्चना की। इसके पश्चात, खंगतेरी में जनसभा को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि समाज के आध्यात्मिक विकास में स्थानीय परम्पराओं एवं मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने लोगों से समाज के सामाजिक-आर्थिक तथा आध्यात्मिक उत्थान से जुड़ी गतिविधियों में शामिल होने के लिए कहा।

वीरभद्र सिंह ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में शिक्षित समाज की महत्वपूर्ण भूमिका है तथा राज्य सरकार ने शिक्षा क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता प्रदान की है। राज्य में ग्रामीण युवाओं, विशेषकर कन्याओं को उनके घरद्वार के समीप उच्च शिक्षा की सुविधा प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने अपने वर्तमान कार्यकाल के दौरान प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 47 नए कालेज खोलने के अतिरिक्त, लगभग 1350 स्कूल खोले अथवा स्तरोन्नत किए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने सड़क नेटवर्क को मजबूत करने को

भी प्राथमिकता प्रदान की है। फलस्वरूप आज राज्य में 37000 किलोमीटर लम्बी सड़कों का एक सुदृढ़ नेटवर्क है जो राज्य के अस्तित्व में आने के समय महज 240 किलोमीटर था।

उन्होंने माध्यमिक पाठशाला बरसाला तथा बड़छ को उच्च पाठशाला में स्तरोन्नत करने, स्वास्थ्य उप-केन्द्र खंगतेरी को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत, खंदराला में पुलिस चौकी खोलने, छपेरी में सामुदायिक हॉल तथा हर्ड-खंदराला सड़क के विस्तारिकरण की घोषणाएं की।

स्थानीय विधायक मोहन लाल बराकटा ने अपने गृह क्षेत्र में मुख्यमंत्री का स्वागत किया तथा उन्हें सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकारों के कार्यकाल के दौरान रोहडू विधानसभा क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ है।

खंगतेरी ग्राम पंचायत की प्रधान अनिता ठाकुर ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया तथा उन्हें स्थानीय मांगों से अवगत करवाया।

पंचायती राज संस्थानों के प्रतिनिधि तथा विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

7 अगस्त तथा 20 अक्टूबर को स्थानीय अवकाश घोषित

शिमला/शैल। सरकार ने 7 अगस्त को रक्षा बंधन तथा 20 अक्टूबर, 2017 को गोवर्धन पूजा के अवसर पर शिमला में स्थानीय अवकाश घोषित किया है। यह अवकाश नगर निगम शिमला की परिधि के भीतर सभी सरकारी कार्यालयों, बोर्डों, निगमों

व शिक्षण संस्थानों पर लागू होगा। यह अवकाश दिहाड़ीद्वारा पर लागू नहीं होगा और यह अवकाश नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अधिनियम, 1881 की धारा 25 के अन्तर्गत देय नहीं होगा। इस बारे में प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है।

नगर निगम क्षेत्र में मतदान के दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित

शिमला/शैल। नगर निगम शिमला क्षेत्र में समस्त सरकारी कार्यालयों, निगमों व बोर्डों, शिक्षण संस्थानों तथा औद्योगिक स्थापनाओं में कार्यरत कर्मियों को नगर निगम चुनाव में अपने मत का प्रयोग करने के लिए 16 जून, 2017 को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है।

दैनिक भोगी कर्मियों तथा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अधिनियम, 1881

के तहत कर्मियों के लिए यह वैतनिक अवकाश होगा।

नगर निगम शिमला के चुनाव में मतदान का अधिकार रखने वाले राज्य के विभिन्न भागों में कार्यरत कर्मचारियों को संबंधित पीठासीन अधिकारी द्वारा जारी मतदान का प्रयोग करने संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर विशेष आकस्मिक अवकाश प्रदान किया जाएगा।

प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने किया 9713 मामलों का निपटारा

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने 28 फरवरी, 2015 से कार्य आरम्भ करने से लेकर 31 मई, 2017 तक कुल प्राप्त 16616 नए मामलों में से 9713 मामलों का निपटारा किया है।

ट्रिब्यूनल के एक प्रवक्ता ने बताया कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय से प्राप्त 6428 मामलों में से 1126 मामलों निपटाए गए हैं।

उन्होंने कहा कि 237 अवमानना

याचिकाएं, 14 समीक्षा याचिकाओं, 18 पूर्व याचिकाओं सहित 4780 विविध आवेदनों का निपटारा भी इस अवधि के दौरान किया गया है।

यह निर्णय लिया गया है कि वर्ष 2009 से पूर्व के पुराने लम्बित मामला का निपटारा डिवीजनल बैंच द्वारा प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। वर्तमान में प्रशासनिक ट्रिब्यूनल में एक डिवीजनल बैंच तथा एक सिंगल बैंच 18 अप्रैल, 2017 से कार्य कर रहे हैं।

